6. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कार्यकलापों में वर्षों से प्रयोजनमूलक विशेषज्ञता के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन हुआ है । कारगर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में एनबीएफसी की भूमिका को भली-भाँति पहचाना गया है, क्योंकि उनमें त्वरित निर्णय लेने, बड़ी जोखिम उठाने और अपनी सेवाओं एवं प्रभारों को अधिक से अधिक ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की अंतर्निहित क्षमता होती है । जबकि बैंकों की तुलना में इन लक्षणों ने एनबीएफसी के बहुत अधिक संख्या में खुलने में योगदान किया है, उनकी लचीली संरचना बैंकों द्वारा दी गयी सेवाओं को अलग-अलग करने और उनके घटकों का विपणन प्रतिस्पर्द्धी आधार पर करने की अनुमति देती है । बैंकों और गैर-बैंकों में भेद धीरे-धीरे अस्पष्ट होता गया है, क्योंकि वित्तीय प्रणाली के ये दोनों खंड स्वयं को एकसमान कार्यकलापों में लगाये रहते हैं । इस समय भारत में एनबीएफसी व्यापक श्रेणी के कार्यकलापों, यथा, किराया खरीद वित्त, उपकरण पट्टा वित्त, ऋण, निवेश, आदि के लिए विशिष्ट बन चुके हैं । नवोन्मेष विपणन नीतियों का प्रयोग करके और आवश्यकता आधारित उत्पादों की अभिकल्पना करके एनबीएफसी जमाकर्ताओं के बीच ग्राहक आधार बनाने, जनता से प्राप्त बचतों का लाभ आत्मसात करने और बड़े संसाधनों पर अधिकार करने में समर्थ हुई हैं, जैसाकि जनता, शेयधारकों, निदेशकों और अन्य कंपनियों से प्राप्त जमाराशियों में वृद्धि तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, आदि को जारी करके लिये गये उधार से परिलक्षित होता है । परिणामस्वरूप, वित्तीय आस्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचतों में गैर-बैंक जमाराशियों का हिस्सा, जो 1980-81 में 3.1 प्रतिशत था, वह 1995-96 में बढ़कर 10.6 प्रशित हो गया । 1998 में पहली बार जनता-जमाराशियों की परिभाषा विनियमित जमाराशियों से अलग की गयी और इसलिए उसके बाद के आँकड़े पहले के आँकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

असंगठित क्षेत्र और लघु उधारकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण प्रदान करने में एनबीएफसी के महत्व को भली-भाँति पहचाना गया है । इस खंड के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए इस पर और अधिक विनियामक ध्यान दिया जाये, और ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षकीय छानबीन की जाये (बॉक्स 6.1)

बॉक्स 6.1 : एनबीएफसी के विनियमों का विहगावलोकन

(1) मिशन	(3) विनियामक और पर्यवेक्षकीय ढाँचे की मूलभूत संरचना
यह सुनिश्चित करना कि • वित्तीय कंपनियाँ अच्छी तरह कार्य करती हैं • ये कंपनियाँ मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य करती हैं, ताकि उनके कार्य से प्रणालीगत विपथन नहीं हो • एनबीएफसी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी निगरानी और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता इस क्षेत्र की गतिविधियों के अनुरूप होती है • एनबीएफसी के लिए व्यापक विनियमन और आस्ति-देयता एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पर्यवेक्षण	विवेकपूर्ण मानदंडों का निर्धारण, जो बैंकों पर लागू मानदंडों के अनरूप हों परोक्ष निगरानी के लिए आवधिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण पर्यवेक्षकीय ढाँचा, जिसमें समाविष्ट हैं (क) प्रत्यक्ष निरीक्षण (कैमेल्स पैटर्न), (ख) विवरणियों के माध्यम से परोक्ष निगरानी, (ग) बाजार आसूचना, और (घ) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आपत्ति रिपोर्ट दंडात्मक कार्रवाई, यथा, पंजीयन प्रमाणपत्र (सीओआर) का निरसन, जमाराशियों के स्वीकरण और आस्तियों के हस्तांतरण का निषेध, आपराधिक शिकायतें और आत्यंतिक मामलों में समापन याचिका फाइल करना, कुछ मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेक्षकों को नियुक्त करना, आदि अनधिकृत और कपटपूर्ण कार्यकलापों को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखना, एनबीएफसी, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)अधिनियम, 1934 में संशोधन	(4) जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए अन्य उपाय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का संशोधन जनवरी 1997 में किया गया , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान किये गये • एनबीएफसी के लिए प्रवेश मानदंड और वित्तीय कारोबार में लगे अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशि संग्रहण का निषेध (अधिनियम के अंतर्गत अनुमत सीमा को छोड़कर) • अनिवार्य पंजीकरण, अर्थसुलभ आस्तियाँ रखना, और आरक्षित निधि का सृजन करना • किसी एनबीएफसी को या सभी एनबीएफसी को या एनबीएफसी की किसी खास श्रेणी को निदेश जारी करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति • जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी का व्यापक विनियमन और पर्यवेक्षण तथा जनता जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर सीमित पर्यवेक्षण	जमाकर्ताओं के शिक्षण के लिए और उन्हें सजग करने के लिए प्रचार, व्यापार एवं उद्योग संगठनों, जमाकर्ताओं के एसोसिएशनों और सनदी लेखाकारों, आदि के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन करना

एनबीएफसी क्षेत्र के बेहतर विनियमन की अनुभूत आवश्यकता के प्रत्युत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 को 1997 में संशोधित किया गया, जिसमें एनबीएफसी के लिए व्यापक विनियामक ढाँचे का प्रावधान किया गया । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 ने भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान की कि वह कंपनियों और इसके लेखापरीक्षकों को निदेश जारी कर सकता है, कंपनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने और आस्तियों के स्वत्वाधिकार-अंतरण करने का निषेध कर सकता है और कंपनियों के समापन के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है । संशोधित अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सभी एनबीएफसी का, भले ही उनके पास जनता जमाराशि कितनी भी हो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ करने और उसे चलाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाये; उनके लिए न्यूनतम प्रवेश बिन्दु मानदंड हो; जमाराशियों का एक हिस्सा अर्थसुलभ आस्तियों के रूप में रखा जाये; और एक आरक्षित निधि का सृजन किया जाये कर-पश्चात्, लेकिन लाभांश के पूर्व लाभ का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष निधि में अंतरित किया जाये । तदनुसार एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति और उसके विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने पर निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित के संबंध में कंपनियों को निदेश जारी किये : जनता जमाराशियों का स्वीकरण; विवेकपूर्ण मानदंड, यथा, पूँजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानन, एक्सपोजर मानदंड और अन्य उपाय । सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी निदेश जारी किये गये कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और विनियमों का पालन नहीं किये जाने की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक और एनबीएफसी के निदेशक मंडल और शेयरधारकों को करें।

6.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

एनबीएफसी क्षेत्र में नीतियों के अनुसार गतिविधियों और 2001-02 के दौरान तथा बाद की अवधियों में उनके कार्यसंपादन (जिस सीमा तक जानकारी उपलब्ध है) पर परवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशतः या पूर्णतः नियंत्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शामिल हैं : (क) एनबीएफसी, जिनमें समाविष्ट हैं उपकरण पट्टा (ईएल), किराया खरीद वित्त (एचपी), ऋण (एलसी), निवेश (आइसी) (प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) सहित) और शेष गैर बैंकिंग (आरएनबीसी) कंपनियाँ; (ख) पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी (एमबीएफसी), अर्थात् निधि कंपनी; (ग) पारस्परिक लाभ कंपनी (एमबीसी), अर्थात् भावी निधि कंपनी; (घ) विविध गैर बैंकिंग (एमएनबीसी) अर्थात् चिट फंड कंपनी (सारणी 6.1)।

6.2. पंजीयन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक में एनबीएफसी का पंजीयन अधिदेशात्मक है, भले ही वे जनता-जमाराशियाँ रखती हों या नहीं । संशोधित अधिनियम (1997, में, न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के रूप में 25 लाख रुपये के प्रवेश बिन्दु मानदंड का प्रावधान है, जिसे 21 अप्रैल 1999 को या उसके बाद सीओआर के लिए आवेदन करने वाली नयी एनबीएफसी के लिए आशोधित कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है , तथापि, कुछ प्रकार की वित्तीय कंपनियाँ, यथा, बीमा कंपनियाँ, आवास वित्त कंपनियाँ, शेयर दलाली करने वाली कंपनियाँ, चिट फंड कंपनियाँ, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 ए के अंतर्गत 'निधि' के रूप में अधिसूचित किया गया है, और वणिक बैंकिंग कारोबार करने वाली कंपनियाँ

सारणी 6.1 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रकार (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	प्रधान कारोबार
1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1997 में यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ(सी) के साथ पठित धारा 45 एल(एफ) के अनुसार उनका प्रधान कारोबार जमाराशियाँ प्राप्त करना या किसी वित्तीय संस्था का कार्य, यथा, उधार देना, प्रतिभूतियों में निवेश, किराया खरीद वित्त या उपकरण पट्टा पर देना है।
(क) उपकरण पट्टादायी कंपनी (ईएल)	उपकरण पट्टे पर देना या ऐसे कार्यकलाप का वित्तपोषण करना
(ख) किराया खरीद वित्त कंपनी (एचपी)	किराया खरीद लेनदेन या ऐसे लेनदेनों का वित्तपोषण करना
(ग) निवेश कंपनी (आइसी)	प्रतिभूतियों का अभिग्रहण । इनमें शामिल हैं प्राथमिक व्यापारी (पीडी), जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी और बाजार निर्माण का काम करते हैं।
(घ) ऋण कंपनी (एलसी)	अपने कार्यकलाप से भिन्न किसी कार्यकलाप के लिए ऋण या अग्रिम देकर या अन्य प्रकार से वित्त प्रदान करना, इसमें ईएल/ एचपी/आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) शामिल नहीं हैं।
(ङ) अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी)	वह कंपनी, जो किसी स्कीम या व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाये, एकमुश्त या किस्तों में जमाराशियाँ अंशदानों या अभिदानों से या यूनिटों या प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री से या अन्य तरीके से प्राप्त करती है । ये कंपनियाँ ऊपर बतायी गयी किसी कोटि की कंपनी नहीं होती है।
II. पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी (एमबीएफसी) अर्थात्, निधि कंपनी	कोई कंपनी, जो केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित की गयी है।
III. पारस्परिक लाभ कंपनी (एमबीसी), अर्थात् भावी निधि कंपनी	कोई कंपनी, जो निधि कंपनी की तरह काम कर रही है लेकिन उसे केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में घोषित नहीं किया गया है, जिसके पास 10 लाख रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) है और जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सीओआर के लिए आवेदन किया है और कंपनी कार्य विभाग (डीसीए) के पास भी आवेदन किया है कि उसे निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित किया जाये, और जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक/डीसीए के निदेशों/ विनियमों का उल्लंघन नहीं किया है।
IV. विविध गैर बैंकिंग कंपनी (एमएनबीसी), अर्थात्, चिट फंड कंपनी	किसी लेनदेन या व्यवस्था का प्रबंध, संचालन या पर्यवेक्षण प्रवर्तक, फोरमैन या एजेंट के रूप में करके, जिसके द्वारा प्रवर्तक, फोरमैन के रूप में पर्यवेक्षण करने वाली कंपनी विनिर्दिष्ट संख्या के अभिदाताओं से करार करती है कि उनमें से प्रत्येक अभिदाता किसी निश्चित अवधि तक कोई रकम किस्त के रूप में अभिदान करेगा और बदले में प्रत्येक अभिदाता निविदा में निर्धारित ऐसे ढंग से, जो उस व्यवस्था में प्रावधान किया गया हो, इनाम की राशि का हकदार होगा ।

(कुछ शर्तों के अधीन), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन की शर्त से मुक्त हैं, क्योंकि वे अन्य एजेंसियों द्वारा नियंत्रित होती हैं । तदनुसार, मार्च 2006 की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक को 38214 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 13873 को अनुमोदित किया गया और 24134 को अस्वीकृत कर दिया गया।

शेष आवेदन पत्र संसाधन के विभिन्न प्रक्रमों पर लंबित हैं । कुल अनुमोदनों में से केवल 434 कंपनियों को जनता जमाराशि स्वीकार करने/रखने की अनुमति दी गयी है । इसके अतिरिक्त जनता-जमाराशियाँ रखने वाली उन सभी कंपनियों को, जिनके पंजीयन प्रमाणपत्र (सीओआर) के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं, जमाराशियों की चुकौती नियत तिथियों को करनी है और अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान आवेदन अस्वीकार किये जाने/निरस्त किये जाने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर करना है या उसी अवधि के भीतर स्वयं को गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित कर लेना है।

6.3. पर्यवेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए एक ताकतवर और व्यापक पर्यवेक्षकीय तंत्र स्थापित किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण पर है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनबीएफसी सुदृढ़ और लाभप्रद स्थिति में कार्य करें और अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार भुजाओं वाला पर्यवेक्षकीय ढाँचा बनाया है, जो निम्नलिखित है:

i. प्रत्यक्ष निरीक्षण

ii. परोक्ष निगरानी, जिसकी मदद अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी करती है

iii. बाजार आसूचना

iv. एनबीएफसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की आपत्ति रिपोर्टें

पर्यवेक्षण का जोर एनबीएफसी के आस्ति आकार और इसके जनता से जमाराशि स्वीकार करने/जनता जमाराशि रखने के आधार पर दिया जाता है । प्रत्यक्ष निरीक्षण की प्रणाली 1997 के दौरान आरंभ की गयी और इसका विन्यास कैमेल्स (पूँजी, आस्तियाँ, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली एवं क्रियाविधि) दृष्टिकोण के आकलन और मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली के लिए अंगीकृत पर्यवेक्षकीय मॉडल के सदृश है । बाजार आसूचना प्रणाली को भी पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है । पर्यवेक्षण की निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक को चेतावनी संकेत देने में सुविधापूर्ण हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यह तत्परतापूर्वक पर्यवेक्षकीय कार्रवाई कर सकता है । एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन पर दुबारा नजर डाली जाती है, ताकि जानकारी के क्षेत्र-विस्तार को और व्याप्त करते हुए या तो पर्यवेक्षकीय उद्देश्यों की या विविध हितबद्ध ग्रुपों को इन कंपनियों की कार्यपद्धति के महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराने की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें। जो कंपनियाँ जनता जमाराशियाँ नहीं रखती हैं, उनका पर्यवेक्षण सीमित ढंग से किया जाता है, 100 करोड़ रुपये और अधिक की आस्ति रखने वाली कंपनियों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है और अन्य गैर जनता जमाराशि वाली कंपनियों का बारी-बारी से 5 वर्षों में एक बार निरीक्षण किया जाता है । ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों से प्राप्त आपत्ति रिपोर्ट, यदि हो, और उसके साथ प्रतिकूल बाजार सूचना तथा आवधिक अंतरालों पर नमूना जाँच भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों की तुलना में इन कंपनियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए मुख्य साधन होते हैं ।

6.4. नीति संबंधी गतिविधियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र के विनियामक और पर्यवेक्षकीय मानकों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय आरंभ किये, ताकि उन्हें दीर्घावधि में वाणिज्यिक बैंकों

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं

क्रम सं.	विषय	विवरण
1.	पंजीयन प्रमाणपत्र	कोई भी कंपनी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से छूट-प्राप्त कंपनियों से भिन्न है, बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किये हुए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ नहीं कर सकती है । ऐसे पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए पात्रता की पहली आवश्यकता यह है कि एनबीएफसी के पास न्यूनतम 25 लाख रुपये का एनओएफ हो (अब इसे किसी नये आवेदक एनबीएफसी के लिए 21 अप्रैल 1999 से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है) । कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की धारा 45-1ए में गिनायी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने से संतुष्ट होने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक पंजीयन प्रमाणपत्र दिये जाने पर विचार करता है ।
2.	अर्थसुलभ आस्तियाँ बनाये रखना	एनबीएफसी को भार-रहित अनुमोदित प्रतभूतियों में, जिनका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अनधिक हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई राशि, जो किसी दिन कारोबार की समाप्ति पर, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के कार्यदिवस को कारोबार की समाप्ति पर बकाया जमाराशियों का कम से कम 5.0 प्रतिशत और अधिक से अधिक 25.0 प्रतिशत हो, निवेश करना होता है ।
3.	आरक्षित निधि का सृजन	प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक आराक्षित निधि का सृजन करेगी और उसमें प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि लेखा में अपने निवल लाभ की कम से कम 20.0 प्रतिशत रकम, लाभांश की घोषणा किये जाने के पहले, अंतरित करेगी। प्रत्येक एनबीएफसी द्वारा ऐसी निधि सृजित की जायेगी, भले ही वह जमाराशियाँ स्वीकार करती हो या नहीं करती हो । पुनः इस निधि से किसी प्रयोजन के लिए विनियोजन भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा ।
(1)	**जमा स्वीकरण से संबंधित विनियम**	
1	जनता की जमाराशियों की प्रमात्रा की अधिकतम सीमा	ऋण और निवेश कंपनियाँ - एनओएफ का 1.5 गुना, यदि कंपनी का एनओएफ 25 लाख रुपये है, न्यूनतम निवेश ग्रेड (एमआइजी) साख-श्रेणी निर्धारण, सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती है और उसका सीआरएआर 15 प्रतिशत है । उपकरण पट्टादायी और किराया खरीद वित्त कंपनियाँ - यदि कंपनी के पास 25 लाख रुपये का एनओएफ हो और वह सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करती हो । i. एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण और 12 प्रतिशत सीआरएआर के साथ - एनओएफ का 4 गुना ii. एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण के बिना लेकिन 15 प्रतिशत या अधिक सीआरएआर के साथ - एनओएफ का 1.5 गुना या 10 करोड़ रुपये, जो भी कम हो ।
2	अर्थसुलभ आस्तियों में निवेश	एनबीएफसी - दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को कारोबार समाप्त होने के बाद बकाया जनता जमा देयताओं का 15 प्रतिशत, जिसमें से i. कम से कम 10 प्रतिशत अनुमोदित प्रतिभूतियों में और ii. अधिक से अधिक 5 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमा में

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*

		आरएनबीसी द्वारा किये जानेवाले निवेशों के संबंध में निदेशों को जून 2004 में युक्तियुक्त बनाया गया, ताकि वित्तीय क्षेत्र में समग्र प्रणालीगत जोखिम को घटाया जा सके और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सके । इस संबंध में निम्नलिखित रूपरेखा निर्धारित की गयी : क) जून 2005 में समाप्त तिमाही से और उसके बाद आरएनबीसी को अनुमति दी गयी कि वे दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही में एग्रिगेटेड लाइएबिलिटीज टू डिपोजिटर्स (एएलडी) के केवल 10 प्रतिशत तक या उनकी निवल स्वाधिकृत निधि का एक गुना, जो भी कम हो, का निवेश अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उस ढंग से करें, जो कंपनी की राय में सुरक्षित हो । ख) जून 2006 में समाप्त तिमाही से और उसके बाद यह सीमा समाप्त हो जायेगी और आरएनबीसी को अपने विवेक पर एएलडी में से कोई राशि निवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । तथापि, कंपनियों द्वारा 100% निदेशित निवेश का अनुपालन करने पर होने वाले तनाव से बचने के लिए उसे संशोधित कर 31 मार्च 2007 तक एएलडी का 95% और उसके बाद 100% कर दिया गया । इन अर्थसुलभ आस्ति प्रतिभूतियों को किसी एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक में या स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में या किसी निक्षेपागार में या इसके प्रतिभागियों के पास (सेबी में पंजीकृत) जमा किया जाना होगा । 1 अक्तूबर 2002 से सरकारी प्रतिभूतियों को एनबीएफसी द्वारा आवश्यक रूप से या तो किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास कंस्टीट्युएंट्स सब्सिडियरी लेजर एकाउंट में या सेबी में पंजीकृत किसी निक्षेपागार प्रतिभागी के पास डिमैट खाते में रखा जाना है । इन प्रतिभूतियों को जनता जमाराशि की चुकौती से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए आहरित नहीं किया जाना है या अन्य प्रकार से लेनदेन नहीं किया जाना है ।
3	जमाराशियों की अवधि	कोई मांग जमा नहीं एनबीएफसी - 12 से 60 महीने आरएनबीसी - 12 से 84 महीने एमएनबीसी (चिट फंड) - 6 से 36 महीने
4	जमा ब्याज दर की अधिकतम सीमा	एनबीएफसी, एमएनबीसी और निधि - 11.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष (4 मार्च 2003 से)। आरएनबीसी - दैनिक जमाराशियों पर न्यूनतम ब्याज 4.0 प्रतिशत और दैनिक से भिन्न जमाराशियों पर 6.0 प्रतिशत । ब्याज का भुगतान या उसकी चक्रवृद्धि कम से कम मासिक अंतराल पर किया जा सकता है ।
5	जमाराशियों/जनता जमाराशियों के स्वीकरण के लिए विज्ञापन प्रणाली	प्रत्येक कंपनी, जो विज्ञापन द्वारा जमाराशि स्वीकार करती है, को इस संबंध में निर्धारित विज्ञापन संबंधी नियमों का अनुपालन करना है, जमाराशि स्वीकरण प्रपत्र में कतिपय निर्धारित सूचना अंतर्विष्ट करनी है, जमाराशियों के लिए निर्गत रसीद और जमा रजिस्टर, आदि रखना है ।

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*

6	विवरणियों का प्रस्तुतीकरण	सभी एनबीएफसी को, जो जनता जमाराशियाँ रखती हैं या स्वीकार करती हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास तिमाही, छमाही और वार्षिक अंतरालों पर आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करनी हैं ।
(2)	**केवल उन एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो जनता जमाराशियाँ स्वीकार करती हैं/ रखती हैं**	
1	जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात	जनता जमाराशियाँ रखने/स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को निम्नानुसार न्यूनतम सीआरएआर बनाये रखना है : i. उपकरण पट्टादायी कंपनियाँ/किराया खरीद वित्त कंपनियाँ (एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण के साथ) 12 प्रतिशत ii. उपकरण पट्टादायी कंपनियाँ/किराया खरीद वित्त कंपनियाँ (एमआइजी साख-श्रेणी निर्धारण के बिना) 15 प्रतिशत iii. ऋण/निवेश कंपनियां 15 प्रतिशत iv. आरएनबीसी 12 प्रतिशत सीआरएआर में समाविष्ट होती है - स्तर -I और स्तर -II पूँजी । इसे दैनिक आधार पर बनाये रखना है, न कि केवल रिपोर्टिंग तिथियों को। स्तर - I पूँजी - मूल पूँजी या एनओएफ में शामिल है सीआरएआर प्रयोजनों के लिए विशेष मामले के रूप में अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर (सीसीपीएस)। स्तर - II पूँजी - सभी अर्ध पूँजी जैसे अधिमानी शेयर (सीसीपीएस से भिन्न), गौण ऋण, परिवर्तनीय डिबेंचर, आदि । स्तर - III पूँजी - स्तर - I पूँजी से अधिक नहीं होनी चाहिए । सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियाँ जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । गौण ऋण 60 महीने या अधिक मूल अवधि के साथ जारी।
2	प्रतिबंधात्मक मानदंड	जनता जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि विवेकपूर्ण मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जाये । कोई एनबीएफसी, जो परिपक्व जमाराशियों की चुकौती में चूक करती है, उसे आगे और आस्तियों का सृजन करने से मना किया जायेगा, जब तक कि चूक को सुधार नहीं दिया जाये । भू-संपदा में निवेश, सिवाय अपने उपयोग के, स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत तक ही किया जायेगा। गैर-उद्धृत शेयरों में निवेश पर निम्नानुसार प्रतिबंध होगा : ईएल/एचपी कंपनियाँ - स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत ऋण/निवेश कंपनियाँ - स्वाधिकृत निधि का 20 प्रतिशत भू-संपदा या गैर-उद्धृत शेयरों में आगे कोई निवेश नहीं, जब तक कि धारित अतिरिक्त स्थिति को नियमित नहीं कर दिया जाता । पर्याप्त समायोजन अवधि की अनुमति - प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर और समय-विस्तार ।

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*

3	ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंड	एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा - स्वाधिकृत निधि का 15 प्रतिशत निवेश - स्वाधिकृत निधि का 15 प्रतिशत एकल उधारकर्ता समूह एक्सपोजर - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत ऋण सीमाएँ - संमिश्र (ऋण और निवेश) एक्सपोजर सीमा एकल उधारकर्ता - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत एकल उधारकर्ता समूह - स्वाधिकृत निधि का 40 प्रतिशत
		• एक्सपोजर मानदंड अपने ही समूह की कंपनियों और सहयोगियों पर भी लागू • ऋण के सभी रूप और ऋण से संबंधित कुछ अन्य प्राप्य राशियाँ तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर शामिल है • डिबेंचरों/बांडों को विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रयोजनार्थ ऋण के रूप में लेकिन तुलनपत्र के प्रयोजनार्थ निवेश के रूप में माना जाना है और निवेश दायित्वों का अनुपालन किया जाना है
4	रिपोर्टिंग प्रणाली: छमाही विवरणी	छमाही विवरणियाँ प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में प्रस्तुत की जानी हैं । • प्रस्तुतीकरण के लिए अनुमत समय - नियत तिथि से तीन महीने • विवरणियों को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना है । तथापि, इसे लेखापरीक्षा के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, और उसमें दिये गये आँकड़े बिना लेखापरीक्षा वाले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लेखापरीक्षकों द्वारा अवश्य प्रमाणित किया जाना है ।
(3)	**सभी एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड, भले ही वे जनता जमाराशियाँ स्वीकार करती हैं/रखती हैं या नहीं**	
1	आय-निर्धारण मानदंड	एनपीए के संबंध में आय-निर्धारण केवल नकद आधार पर अनुमत है । वसूली नहीं गयी आय, जिसका पहले निर्धारण किया गया था, उसे प्रत्यावर्तित किया जाना है ।
2	एनपीए मानदंड	इसके पहले कि आस्ति एनपीए बन जाये, उपचय के आधार पर आय-निर्धारण निम्नानुसार : ऋण और अग्रिम : 6 महीने और 30 दिनों की पास्ट ड्यू अवधि तक (पास्ट ड्यू अवधि को 31 मार्च 2003 से समाप्त कर दिया गया) । पट्टा और किराया खरीद वित्त - 12 महीने
3	प्रतिबंधात्मक मानदंड	अपने ही शेयरों पर ऋण की अनुमति नहीं

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(जारी)*		
4	मांग/शीघ्रावधि मांग ऋण के संबंध में नीति	कंपनियों को मांग और शीघ्रावधि मांग ऋण के लिए वापस माँगे गये ऋणों के संबंध में निर्दिष्ट तिथि, ब्याज-दर,ऐसे ब्याज की आवधिकता, ऐसे कार्यसंपादन की आवधिक समीक्षा, आदि के लिए नीति बनानी चाहिए ।
5	लेखा मानक	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी किये गये सभी लेखा मानक और मार्गदर्शी टिप्पणियाँ सभी एनबीएफसी पर लागू हैं , जहाँ तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से असंगत नहीं हों ।
6	निवेशों के लिए लेखांकन	सभी एनबीएफसी के पास एक सुपरिभाषित निवेश नीति होनी चाहिए। निवेशों को दो कोटियों में वर्गीकृत किया गया है - (i) दीर्घावधि और (ii) चालू निवेश । दीर्घावधि निवेशों का मूल्यन आसीएआइ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक के अनुसार किया जाना है । चालू निवेश का वर्गीकरण -(क) उद्धृत और (ख) अनुद्धृत के रूप में किया जाना है । चालू-उद्धृत निवेशों का मूल्यन लागत या बाजार मूल्य में से न्यूनतर पर किया जाता है। संपूर्ण मूल्यांकन की अनुमति -ब्लॉक के भीतर कल्पित लाभ या हानि की नेटिंग करने की अनुमति - लेकिन अंतर-ब्लॉक को अनुमति नहीं, निवल कल्पित लाभ की अनदेखी की जानी है, लेकिन कल्पित हानियों के लिए प्रावधान किया जाना है। चालू अनुद्धृत निवेशों के लिए मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार हैं : i. इक्विटी शेयर (लागत या विश्लेषित मूल्य या उचित मूल्य में से कम पर) ii. धारिता के समस्त ब्लॉक के लिए 1/- रुपया, यदि निवेशिती कंपनी का पिछले दो वर्षों का तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है । iii. अधिमानी शेयर लागत या अंकित मूल्य में से कम मूल्य पर । iv. सरकारी प्रतिभूतियाँ रखाव लागत पर । v. म्युचुअल फंड यूनिटें निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर प्रत्येक स्कीम के लिए, और vi. वाणिज्यिक पत्र (सीपी) इसकी रखाव लागत पर ।
7	आस्ति वर्गीकरण	सभी प्रकार के ऋण (प्राप्य राशियों सहित) को निम्नलिखित चार कोटियों में वर्गीकृत किया जाना है : · मानक आस्ति · अवमानक आस्ति · संदिग्ध आस्ति · हानि आस्ति
8	अनर्जक आस्तियों - ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधानन	मानक आस्तियाँ - कोई प्रावधान नहीं अवमानक आस्तियाँ - बकाया शेष का 10 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियाँ - अप्रतिभूत हिस्से के लिए 100 प्रतिशत और प्रतिभूत हिस्से के लिए संदिग्ध आस्तियों की अवधि के आधार पर 20, 30 और 50 प्रतिशत । हानि आस्तियाँ - बकाये का 100 प्रतिशत

बॉक्स 6.2 : एनबीएफसी ए के लिए विनियामक मानदंड और निदेश । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय IIIबी के महत्वपूर्ण सांविधिक प्रावधान, जो एनबीएफसी पर लागू होते हैं *(समाप्त)*

9	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानन - उपकरण पट्टा एवं किराया खरीद लेखा	· अप्रतिभूत हिस्से के लिए पूरा प्रावधान किया जाना है । · ईएल/एचपी आस्तियों के निवल बही मूल्य (एनबीवी) के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान । · एनपीए पर त्वरित अतिरिक्त प्रावधान एनपीए 12 महीनों या अधिक लेकिन 24 महीनों से कम के लिए : एनबीवी का 10 प्रतिशत एनपीए 24 महीनों या अधिक लेकिन 36 महीनों से कम के लिए : एनबीवी का 40 प्रतिशत एनपीए 36 महीनों या अधिक लेकिन 48 महीनों से कम के लिए : एनबीवी का 70 प्रतिशत एनपीए 48 महीनों या अधिक के लिए : एनबीवी का 100 प्रतिशत किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य का विचार केवल अतिरिक्त प्रावधान के लिए किया जायेगा । ऋण की अवधि का किसी भी ढंग से पुनर्निर्धारण किये जाने से आस्ति का नयी शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक कार्यसंपादन के 12 महीनों तक कोटि उन्नयन नहीं किया जायेगा । पुनः कब्जा की गयी आस्तियों को एनपीए की उसी कोटि में या अपनी आस्तियों में माना जायेगा - यह विकल्प कंपनी के पास होगा ।
10	जोखिम-भारांक और ऋण संपरिवर्तन कारक	· जोखिम-भारांक का प्रयोग सभी आस्तियों के लिए किया जायेगा, सिवाय अमूर्त आस्तियों के । · जोखिम-भारांक का प्रयोग संबंधित आस्तियों के विरुद्ध रखे गये प्रावधान की नेटिंग करने के बाद किया जायेगा । · जोखिम-भारांक हैं 0, 20 और 100 · स्वाधिकृत निधियों से कटौती की गयी आस्तियों , यथा, सहयोगियों या एक ही ग्रुप वाली कंपनियों या अमूर्त आस्तियों के प्रति एक्सपोजर के लिए 0 प्रतिशत जोखिम भारांक दिया जाना चाहिए । · अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) के प्रति एक्सपोजर के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भारांक और अन्य सभी आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भारांक । · तुलनपत्र बाह्य मदों को 50 या 100 पर गुणनखंड किया जाना है और तब जोखिम भारांक में बदलना है ।
11	प्रकटीकरण अपेक्षाएँ	1. प्रत्येक एनबीएफसी से यह अपेक्षित है कि वह अपने तुलनपत्र में ऊपर बताये गये प्रावधानों को बिना आय से या आस्तियों के मूल्य से घटाये अलग से प्रकट करे । 2. प्रावधानों को अलग-अलग लेखा शीर्षों में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार इंगित किया जायेगा : i. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, और ii. निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 3. ऐसे प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानि आरक्षित निधियों, यदि हो, से विनियोजित नहीं किया जाना चाहिए । 4. प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे प्रावधान लाभ-हानि लेखा में नामे लिखे जायेंगे। अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, जो सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियों के अंतर्गत धारित हों, उनके प्रति समायोजन किये बिना पुनरांकित किया जा सकता है । 5. निधि और चिट फंड कंपनियों को छूट-प्राप्त है ।

के समकक्ष लाया जा सके । विनियामक मानदंड, जो एनबीएफसी पर लागू हैं, बॉक्स 6.2 में दिये गये हैं । वर्ष के दौरान अंगीकृत विनियामक उपाय इस क्षेत्र की ब्याज दरों को शेष अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों के साथ संरेखित किये जाने, विवेकपूर्ण मानदंडों को कठोर करने, परिचालन क्रियाविधि को मानकीकृत किये जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमों को संशोधित कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के साथ संरेखित किये जाने का लक्ष्य रखते हैं ।

नबीएफसी पर लागू होने वाले निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए निम्नानुसार व्यापक जमा-स्वीकरण और आस्ति-पक्ष विनियमों को जारी किया है ।

जबकि सभी विवेकपूर्ण मानदंड केवल जनता जमाराशि स्वीकार करने वाली/रखने वाली एनबीएफसी पर ही लागू होते हैं, कुछ विनियम जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनियों पर लागू होते हैं।

6.5 ब्याज दरें

वित्तीय क्षेत्र में प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए चिट फंड कंपनियों और निधि कंपनियों सहित एनबीएफसी द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2001 से 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गयी और पुनः 1 नवंबर 2001 से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा मार्च 2003 से 11 प्रतिशत की गयी ।

6.6. *एनबीएफसी का उपकरण पट्टादायी और किराया खरीद वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकरण*

एनबीएफसी से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में यह निर्णय लिया गया कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास पंजीकृत ऑटोमोबाइलों, एयरक्राफ्टों और जहाजों के दृष्टिबंधक पर दिये गये ऋणों और अग्रिमों को भी एनबीएफसी के उपकरण पट्टादायी और किराया खरीद वित्त कंपनी में वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ उपकरण पट्टा तथा किराया खरीद आस्तियों के सकल जोड़ में शामिल किया जाये ।

6.7. भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के साथ संरेखण

एनबीएफसी को दिये गये भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में परिवर्तन किये गये, ताकि उन्हें कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 में अंतर्विष्ट निदेशों के साथ संरेखित किया जा सके । तदनुसार सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे छोटे जमाकर्ताओं को परिपक्व जमाराशियों की चुकौती या ब्याज के भुगतान में चूक, यदि हों, की रिपोर्ट ऐसी चूक के 60 दिनों के भीतर कंपनी विधि बोर्ड को करें । 50 करोड़ रुपये और अधिक की आस्ति रखने वाली एनबीएफसी के अतिरिक्त कम से कम 5 करोड़ रुपये की चुकता पूँजी वाली एनबीएफसी को लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करनी हैं । ऐसी समितियों की वे ही शक्तियाँ, कार्य और कर्त्तव्य होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 में अधिकथित की गयी हैं । इसके अतिरिक्त कुछ एनबीएफसी, जो इसके पहले जनता जमाराशियाँ रखने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ थीं, अब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ बन गयी हैं। ऐसी एनबीएफसी को कंपनी निबंधक से नया निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद पंजीयन प्रमाणपत्र में नाम बदले जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करना है, ताकि उनकी हैसियत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में प्रतिबिंबित हो ।

6.8. एनबीएफसी की अर्थसुलभ आस्ति प्रतिभूतियाँ

1 अक्तूबर 2002 से सभी एनबीएफसी को अनिवार्य रूप से अपने निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में या तो किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास या स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआइएल) के पास कंस्टीट्युएंट्स सब्सिडियरी जेनरल लेजर एकाउंट (सीएसजीएल) में या निक्षेपागारों [नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)] के पास अभौतिक रूप में सेबी में पंजीकृत निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से रखना चाहिए । अतः भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा वापस ले ली गयी है । सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, जिन्हें अभौतिक नहीं बनाया गया है, भौतिक रूप में उस समय तक रखे जा सकते हैं, जब तक कि उन्हें अभौतिक नहीं बना दिया जाता । किसी एनबीएफसी द्वारा केवल एक सीएसजीएल या अभौतिक खाता खोला जा सकता है। यदि किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में सीएसजीएल खोला जाता है, खाताधारक को एक नामित निधि खाता (सीएसजीएल से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए) उसी बैंक में खोलना है । यदि सीएसजीएल खाता ऊपर बतायी गयी किसी गैर बैंकिंग संस्था में खोला जाता है, तो नामित निधि खाता (किसी बैंक में) के विवरण उस संस्था को बताये जाने चाहिए। सीएसजीएल/नामित निधि खाता रखने वाली एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेनदेन पूरा किये जाने के पूर्व नामित निधि खाता में पर्याप्त निधि खरीद के लिए रहती है और बिक्री के लिए सीएसजीएल खाता में पर्याप्त प्रतिभूतियाँ उपलब्ध रहती हैं । सरकारी प्रतिभूतियों में आगे कोई लेनदेन एनबीएफसी द्वारा किसी दलाल के साथ तत्काल प्रभाव से भौतिक रूप में नहीं किया जाना चाहिए । सरकारी प्रतिभूतियों की भविष्य में खरीद-बिक्री से संबंधित लेनदेन अनिवार्य रूप से सीएसजीएल/डिमैट खाते के माध्यम से किया जाना है। भौतिक रूप से धारित सरकारी प्रतिभूतियों को 31 अक्तूबर 2002 तक अभौतिक बना दिया जाना था ।

6.9. लेखांकन मानक

लेखांकन मानक (एएस) 19 (पट्टों के लिए लेखांकन), जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी किया गया था, में यह स्पष्ट किया गया कि (i) किराया खरीद आस्तियों पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानदंड आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1अप्रैल 2001 को या उसके बाद लिखित वित्तीय पट्टों पर लागू होंगे और (ii) 31 मार्च 2001 तक लिखित पट्टे अब तक पट्टाकृत आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

6.10. सांविधिक लेखापरीक्षक

एनबीएफसी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र में यह बात दुहरानी होगी कि लेखापरीक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत जारी किये गये निदेशों के उल्लंघन, यदि हों, की रिपोर्ट सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक को करेंगे।

6.11. विवेकपूर्ण विनियम

कुछ एनबीएफसी मांग/शीघ्रावधि मांग ऋण असीमित अवधि के लिए या ब्याज दरों और चुकौती के संबंध में कोई शर्त बताये बिना दे रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ऋणों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन में समस्याएँ आती थीं । तदनुसार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी ऋण युक्तियुक्त रूप से वर्गीकृत किये जाते हैं और

एनपीए की स्थिति एनबीएफसी के वित्तीय विवरणों में सही रुप में प्रतिबिंबित होती है, दिशानिर्देश जारी किये गये । 31 मार्च 2003 से एनबीएफसी के लिए एनपीए की परिभाषा के संबंध में 'पास्ट ड्यू' की अवधारणा को समाप्त कर दिया जायेगा, जो विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में छमाही विवरणी में और 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में प्रतिबिंबित होगा । एनबीएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में निदेश के अनुसार जो एनबीएफसी जनता जमाराशि स्वीकार करती है/रखती है, उन्हें न्यूनतम निर्धारित जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) हर समय रखना सुनिश्चित करना होगा। तदनुसार, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए फार्मैट में संशोधन किया गया है । ऋणों की वसूली नहीं होने के भावी खतरे की पहचान के लिए भिन्न-भिन्न मानदंडों का प्रयोग करने की संभावना को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्तियों के हानि आस्तियों में वर्गीकरण के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किये हैं।

6.12. एनबीएफसी द्वारा विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

कई एनबीएफसी समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणियाँ प्रस्तुत करने में शिथिलता बरतती रही हैं । ऐसी एनबीएफसी के विरुद्ध - प्रारंभ में उन एनबीएफसी के लिए, जिनके पास 50 करोड़ रुपये और अधिक की जनता जमाराशि है- विवरणियों का प्रस्तुतीकरण नहीं करने पर कार्रवाई करने पर विचार किया गया है। इस कार्रवाई में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा उपबंधित दंड लगाने के साथ-साथ चूक्कर्ता कंपनियों के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाहियाँ चलाना और इसके अतिरिक्त सीओआर के अस्वीकरण/निरसन पर विचार किया जाना शामिल है । एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की एक सूची अनुबंध 6.1 में दी गयी है ।

6.13. जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा

जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि उन मामलों में, जहाँ न्यायालय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फाइल की गयी समापन याचिकाएँ विचार के लिए स्वीकृत कर ली गयी हैं और अनंतिम परिसमापकों को नियुक्त कर दिया गया है या जहाँ जहाँ आपराधिक शिकायतें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फाइल की गयी हैं और न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर दिये गये हैं, वहाँ प्रेस विज्ञापन जारी किये जायें ।

6.14. आस्ति-देयता प्रबंधन

जुलाई 2001 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के आधार पर, जो 31 मार्च 2002 से प्रभावी हुए, उन सभी एनबीएफसी में, जिनके पास 20 करोड़ रुपये और अधिक की जनता जमाराशि हो, और 100 करोड़ तथा अधिक रुपये की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी पर भी आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली परिचालनीय बना दी गयी है । इस आशय के अनुदेश भी जारी कर दिये गये हैं कि 30 सितंबर 2002 की स्थिति के अनुसार पहली विवरणी एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 31 अक्तूबर 2002 तक प्रस्तुत की जाये ।